पत्रांक–मा.शि./विधि/21/98.........

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग

(बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ,बुद्ध मार्ग ,पटना)

कार्यालय–आदेश

राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों के लिए वर्ष 2015 की अवकाश तालिका विभागीय ज्ञापांक 3265, दिनांक 05.12.2014 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त तालिका मे ग्रीष्मावकाश की अवधि दिनांक 25.05.13 से दिनांक 13.06.15 तक निर्धारित थी, परन्तु माननीय मुख्य मंत्री, बिहार सरकार के निर्देश पर विद्यालयों में दिनांक 13.05.15 से ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया।

सरकार के आदेश से विभागीय ज्ञापांक 3265, दिनांक 05.12.14 में ग्रीष्मावकाश की अवधि में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य के सभी राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को ग्रीष्मावकाश के उपरान्त दिनांक 04.06.15 (गुरुवार) को विद्यालय खोलने का आदेश दिया जाता है। सभी प्रधानाध्यापक /शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त तिथि दिनांक 04.06.15 को विद्यालय में निश्चित रूप से उपस्थिति होकर पठन–पाठन का कार्य संपादित करेंगे।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में अवकाश के संबध में निर्गत विभागीय ज्ञापांक 3265, दिनांक 05.12.14 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह./–
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
बिहार ,पटना।

ज्ञापांक..पटना, दिनांक../2015

प्रतिलिपि– सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना–17/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/राज्य के राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित– सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से सभी राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को आदेश की प्रति भेजते हुए जिलान्तर्गत सभी राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित तिथि को खोलने संबधी कारवाई सुनिश्चित करेंगे।

ह./–
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
बिहार ,पटना।

ज्ञापांक......1575......पटना, दिनांक......01-06-15....../2015

प्रतिलिपि– महासचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जमाल रोड, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1.6.15
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)
बिहार ,पटना।

1.6.15

ज्ञापांक ......1011....../बिहारशरीफ, दिनांक ..4...../...06.../2015

प्रतिलिपि:– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नालन्दा/ सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/प्रस्वीकृति प्राप्त उच्च एवं उच्चतर विद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि उक्त तिथि से विद्यालय का संचालन करना सुनिश्चित करें।

4/6/15

जिला शिक्षा पदाधिकारी
नालन्दा।